केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110 067

CIC/AA/A/2020/47
CICOM/A/E/20/00026
CICOM/R/E/2020/00037

अपीलकर्ता का नाम: **श्री सुनील राम**
शकोसाई, रोड़ नंबर – 04ए
डिमना रोड़, मानगो, जमशेदपुर,
पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। पिन– 831 012

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	**18.01.2020**
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	**05.02.2020**
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	**श्री टी0 बी0 जे0 राजरप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी।**
3.	प्रथम अपील की तिथि	**09.02.2020**
5.	निर्णय की तिथि	**12.02.2020**

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मंत्रियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों आदि की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित विषयों के विवरण, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें प्रदान किये जाने अथवा नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण और ऐसी सूचना की मांग करते हुए आयोग में दाखिल अपीलों को निरस्तारित करते हुए आयोग द्वारा पारित आदेशों की प्रतियों आदि सूचना की मांग कुल 5 बिंदुओं के अंतर्गत की थी।

सीपीआईओ का जवाब :-

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में सीपीआईओ श्री टी0 बी0 जे0 राजरप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी ने प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की:

O/C

बिंदु संख्या 1 से 4	वांछित सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें, जो आयोग की वेबसाईट के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
13 FEB 2020
D. No.........
Initials.........

	आपके आवेदन से संबंधित अन्य कोई लिखित सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है।
बिंदु संख्या 5	व्यक्तिगत सूचना से संबंधित दर्ज अपीलों का अथवा दिए गए आदेशों के अलग--अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है। आयोग के आदेश आयोग के वेबसाईट www.cic.gov.in पर उपलब्ध हैं। आप अपनी आवश्यकतानुसार आदेश देख सकते हैं अथवा डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रथम अपील का आधार :-

3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री टी0 बी0 जे0 राजरप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल के जवाब से असंतुष्ट होते हुए प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है, जिसमें प्रार्थी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि "Provided incomplete. Misleading or False Information"

निर्णय :-

4. प्रथम अपील प्रपत्र, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि सीपीआईओ के द्वारा दिया गया जवाब तथ्यात्मक है और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि एक जन सूचना अधिकारी, रिकार्ड में सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। किसी विधि अथवा अधिनियम की व्याख्या एक जन सूचना के दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से प्रस्तुत मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली--110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरूद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : फरवरी 12, 2020

मीना शर्मा 12/02/2020

(श्रीमती मीना बी0 शर्मा)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :-

Reader 13/2/20

1. **सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।**